सरकार ने अधिकांश खेल उपकरणों पर जीएसटी घटा 5% किया, पर विशेष लाभ नहीं

खेल उपकरणों के दाम 8 से 10 फीसदी बढ़े, मैदान में कदम थमे

रांची, वरीय संवाददाता। पेट्रोलियम और प्लास्टिक उत्पाद के महंगे होने का असर खेलऔर खिलाड़ियों पर भी पड़ने लगा है। खेल उपकणों की बढ़ती कीमत ने खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ा दीहै। रांची के खेल उपकरण विक्रेताओं की मानें तो खेल उपकरणों में 8 से 10 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ गई है। इसमें अधिकांश उत्पाद सुरक्षा उपकरण हैं, जिनकी दर में इजाफा हुआ है।

क्रिकेट किट में ग्लव्स, पैड, गार्ड और बैट ग्रिप की महंगाई बढ़ी है। राज स्पोर्ट्स के संचालन जसमिंदर सिंह के अनुसार, ये उत्पाद पेट्रोलियम और प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसमें महंगाई बढ़ी है। प्लास्टिक का विकेट सेट भी महंगा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले जहां यह 300 रुपए में सेल होता है, वहीं अब इसी खरीद 300 रुपए पड़ रही है। उन्होंने बताया कि ताइक्वांडो, कराटे आदि खेलों में इस्तेमाल होनेवाले गार्ड पीयू मटेरियल होता है। इसके अंदर की फॉम पैडिंग होती है। ये दोनों पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जिसमें 5 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ी है।

जसमिंदर सिंह ने बताया कि रांची में क्रिकेट सामग्री अधिक बिकती है। इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। खासकर इंग्लिश विलो बैट की कीमत में तेजी आईहै। पहले जिस बैट की बिक्री 6000 रुपए में होती थी, अब वह 14 से 15 हजार में बिक रही है। हालांकि इसकार कारण विदेश से इंग्लिश विलो का आवक कम होना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अधिकांश खेल उपकरणों में जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन अब कंपनियों की कीमतें और ट्रांसपोर्टिंग बढ़ने से इसका विशेष लाभ नहीं हो रहा है।

ट्रॉफी पर 18 प्रतिशत हुई जीएसटी : पायोनियर स्पोर्ट्स के संचालक के अनुसार, फाइवर ट्रॉफी की कीमत भी बढ़ी है। पहले इसमें 5 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, जो अब 18 प्रतिशत हो गई है, जिससे इसकी कीमत 10 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

> हमलोग साल में एक या दो बैट जरूर खरीदते हैं। हमें 6 से 7 हजार रुपए के बैट की जरूरत होती थी, जो अब 10 हजार रुपए तक में खरीदना पड़ रहा है। अन्य सामग्री भी महंगी हो गई है।
> – **सुरेंद्र कुमार**, क्रिकेट खिलाड़ी

जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता का आरोप

- झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को पत्र लिख जांच की मांग
- आयकर संबंधी नियमों के उल्लंघन का भी आरोप

रांची, वरीय संवाददाता। रांची जिला क्रिकेट संघ (आरडीसीए) के पूर्व सचिव एवं जेएससीए के आजीवन सदस्य सुनील कुमार सिंह ने आरडीसीए के वर्तमान सचिव शैलेंद्र कुमार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन तथा पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) से जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी को पत्र भेजा है।

सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि जेएससीए द्वारा जिला क्रिकेट संघों से पिछले पांच वर्षों के ऑडिटेड खाते, एजीएम, एसजीएम, चुनाव और समिति बैठकों का ब्योरा मांगे जाने के बावजूद आरडीसीए ने सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने दावा किया कि 19 सितंबर 2024 को एक ही दिन में चार वर्षों का एजीएम आयोजित किया गया, जबकि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के खातों को पारित नहीं किया गया। साथ ही प्रस्तुत खातों के ऑडिट और आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि क्रिकेट गतिविधियों के भुगतान के नाम पर आरडीसीए के बैंक खाते से कुछ व्यक्तियों के निजी खातों में चेक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मान्यता प्राप्त क्लबों के मतदान अधिकार समाप्त किए गए तथा चुनाव प्रक्रिया नहीं कराई गई।

पिछले साल का ऑडिट हुआ, एजीएम जल्द : शैलेंद्र

आरडीसीए सचिव शैलेंद्र कुमार ने इस मामले में कहा कि जिनलोगों को क्रिकेट से मतलब नहीं, वे यह आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल का ऑडिट हो चुका है और एजीएम सत्र की समाप्ति के साथ संभवतः जुलाई में आयोजित होगी। रिपोर्ट एजीएम में रखी जाएगी। बाकी जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच हो।

शहर 30s

इटकी रोड के राधानगर समेत कई अन्य इलाके में गुरुवार को रात में दस बजे अड्डेबाजी के खिलाफ पुलिस टीम ने अभियान चलाया। कई शराब पीते पकड़े गए।

पंडरा में अड्डेबाजी पर पुलिस कार्रवाई

रांची। पंडरा ओपी क्षेत्र में पुलिस टीम ने गुरुवार को रात में दस बजे इटकी रोड में आईटीआई बस स्टैंड के पहले, राधानगर समेत कई अन्य इलाके में अड्डाबाजी के खिलाफ अभियान चलाया। इस क्रम में टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने कई स्थान पर समूह में मौजूद युवकों को खदेड़ा। इनमें से कई अंधेरे में शराब पीते पकड़े गए। उनकी भी पुलिसकर्मियों ने मलामत की। मौके से पकड़े गए लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। वहीं कई के नाम और ठिकाने का सत्यापन किया गया।

खोरहाटोली में चार लाख के टेंट के सामान चोरी

रांची। सदर थाना क्षेत्र के खोरहाटोली मिशन कॉलोनी में जोड़ा पुल के पास रहने वाले विलयम रिचर्ड लकड़ा के आवास से चोरों ने टेंट का सामान और भोजन तैयार करने के बर्तन समेत चार लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। मामले में सूचक की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पिछले दिन देर रात में उनके आवास में कुछ लोग प्रवेश कर गए थे। उन्होंने बताया है कि घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद है।

फर्जी नंबर प्लेट की बाइक के साथ एक गिरफ्तार

रांची। चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से ट्रैफिक पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा। उसे बाद में चुटिया थाना पुलिस को सौंप दिया। मामले में ट्रैफिक थाना में पदस्थापित जमादार दामोदर कुमार राय की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अधेड़ मो अमजद हुसैन रातू थाना क्षेत्र के कमड़े तिलता अलकमार कॉलोनी का रहने वाला है। मोटरसाइकिल की जांच के क्रम में अमजद पकड़ा गया।

बैंक खाता से दो लाख रुपए की अवैध निकासी

रांची। मेसरा ओपी क्षेत्र के नेवरी विकास में रहने वाले ईस्माइल अंसारी से साइबर ठग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर बचत खाता से 2.02 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। मामले में सूचक की लिखित शिकायत पर साइबर अपराध थाना में केस दर्ज हुआ है। मोबाइल फोन के जरिए बिना ऑनलाइन लेनदेन किए उनके बचत बैंक खाता से अचानक रुपये की निकासी होने लगी।

सब्जी बेच रहे दुकानदार की बाइक चोरी

रांची। डोरंडा थाना क्षेत्र के बाजार के पास सब्जी की बिक्री कर रहे संजय साहू की मोटरसाइकिल चोर ले भागे। मामले में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हुंडरू गांव निवासी संजय की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि वह बुधवार को डोरंडा बाजार के पास देर शाम सब्जी की बिक्री कर रहा था। इस दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल को समीप में खड़ा कर दिया था।

यौन शोषण के आरोपी को अग्रिम राहत नहीं

रांची। शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धमकी देने के मामले में आरोपी अविनाश कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा–1 की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान अविनाश कुमार से हुई थी।

लटमा रोड से तीन शातिर अपराधी की गिरफ्तारी

- लोडेड पिस्टल, दो गोली, टांगी, बेसबॉल जब्त
- अपराधी सुमित मिंज के विरुद्ध कई मामले

रांची, प्रमुख संवाददाता। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड के नेपाली कॉलोनी रोड नंबर सात के पास से कार पर सवार तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से मैगजीन और छह गोली के साथ एक पिस्टल, दो टांगी, एक लोहे का बेस बॉल, पांच मोबाइल फोन, एक टैब जब्त किया है। पुलिस ने अपराधियों द्वारा प्रयुक्त कार को भी जब्त किया।

गिरफ्तार अपराधियों में जगन्नाथपुर के हेसाग लटमा रोड के चोरैया टोली का सुमित मिंज उर्फ लवेंडर, सिंह मोड़ बास्को नगर का राकेश रंजन उर्फ गुड्डू और नेपाली कॉलोनी रोड नंबर सात का रोहित महली शामिल है। रोहित मांडर के ब्राम्बे मलटोली का मूल निवासी है।

रांची के एसएसपी ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर में जिला पुलिस सभागार में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने बुधवार को रात में नेपाली कॉलोनी में स्वर्णरेखा नदी तट पर वाहन जांच और छापामारी अभियान चलाया। इसी क्रम में वहां से गुजर रही कार को जांच के लिए रोका गया व उस पर सवार लोगों के नाम व ठिकाने के संबंध में जानकारी हासिल की गई। इसी क्रम में हथियार व अन्य सामान बरामद हुए।

घर से नगदी व 25 लाख के जेवर चुराए

रांची। खेलगांव थाना क्षेत्र के न्यू खटंगा सुगनू में रहने वाले अनीस कुमार भारती के बंद पड़े आवास से चोरों ने नगदी, 25 लाख रुपये मूल्य के सोना व चांदी के जेवरात समेत लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। जिस समय मकान में चोरी की घटना हुई, उस समय अनीस परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के लिए नेपाल गए हुए थे। वे वहां से गुरुवार की सुबह अपने आवास पहुंचे तो मुख्य द्वार पर लगा ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि कमरे में रखी आलमीरा व सूटकेश समेत संदूक खुला हुआ है और वहां रखी 14 हजार रुपये नगदी, 25 लाख रुपये मूल्य के जेवरात समेत घरेलू प्रयोग के अन्य कीमती सामान गायब हैं। मामले में अनीस की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

सिपाही भर्ती में 888 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करे सरकार

सुप्रीम कोर्ट

रांची, संवाददाता। झारखंड में वर्ष 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया है कि लिखित, शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित इन अभ्यर्थियों की दावेदारी पर अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर पुनर्विचार करे। इन अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से शारीरिक और चिकित्सीय परीक्षण कराने का आदेश भी शीर्ष अदालत ने दिया है।

यह मामला जेएसएससी की (विज्ञापन संख्या 04/201) पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल जांच तथा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। इसके बावजूद 29 मई 2017 को घोषित अंतिम परिणाम में उनके नाम शामिल नहीं किए गए। राज्य में फिलहाल 2,380 कांस्टेबल के पद रिक्त हैं।

कोई नया दावा स्वीकार नहीं करने का निर्देश

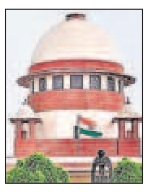

अदालत ने राज्य सरकार और आयोग को निर्देश दिया कि 27 मई 2026 तक रिकॉर्ड में मौजूद केवल 888 अभ्यर्थियों के मामलों पर ही विचार किया जाए तथा कोई नया दावा स्वीकार न किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों की बढ़ती उम्र को देखते हुए शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षण के मानकों में आवश्यक रियायत दी जा सकती है, लेकिन ऐसे मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो उम्र से प्रभावित नहीं होते हैं।

बस पर सवार यात्री का जेवर से भरा बैग गायब

रांची। बिहार के गयाजी में विष्णुपद थाना क्षेत्र के नई सड़क मोलागंज में रहने वाले प्रमोद वर्मा के पास रखा बैग महारानी यात्री बस से गायब हो गया। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के रातू रोड में यात्री प्रमोद के पास से गायब बैग में करीब नौ लाख रुपये मूल्य का सोना का जेवर और अन्य जरूरी सामान थे। मामले में सूचक की ओर से सिविल लाइन थाना में शून्य एफआईआर में की गई लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है।

सुखदेवनगर थाना में दर्ज केस में उन्होंने बताया है कि वह पिछले 23 मई को गयाजी से बस से गुमला जा रहे थे। रांची के कांटाटोली बस स्टैंड तक उनके पास जेवर से भरा बैग मौजूद था। इसी बीच उन्हें नींद आ गई। सूचक की जब नींद खुली तो उस समय तक बस रातू रोड पहुंच चुकी थी और उनके पास रखा बैग गायब था। अंदेशा जताया गया है कि उचक्का कांटाटोली बस स्टैंड से ही बस पर सवार हुआ था और नींद आने संबंधी पाउडर का छिड़काव कर घटना को अंजाम दिया था। इधर केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस रातू रोड के उस स्थान पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जहां बस कुछ समय के लिए रुकी थी।

फायरिंग मामले में माओवादी को जमानत नहीं

रांची। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य शैलेश्वर उरांव उर्फ मंदीप उर्फ कसाई की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह जुलाई 2022 से जेल में है। मामला लोहरदगा के पेशरार थाना का है। इसे बाद में एनआईए ने लिया। आरोप है कि फरवरी 2022 में बुलबुल जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग और आईईडी विस्फोट किया था।

रिश्वत मामले में दारोगा को बेल

रांची। झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच से कोडरमा के चंदवारा थाना के दरोगा रहे पवन कुमार राम को जमानत मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया। बीते 12 मार्च को अवैध शराब मामले को मैनेज करने के नाम पर दारोगा पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सूचना के बाद एसीबी ने ट्रैप कर 15 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

COBRA ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL RAMGARH CANTT

NOTICE

Invites applications for the posts of Teachers and Asst. Clerk on contractual basis

Academic

1. **Teachers.** Female Candidates age not less than 23 years on 01 Jan 2026.
   (i) Graduate with 50% marks from a recognized Institution / University.
   (ii) Diploma of minimum two-year duration in Nursery Teacher Education / Pre-School Education / Early Childhood education Pgme (D.E.C.Ed) or a B.Ed. (Nursery) from any NCTE recognized institution.
   (iii) NTT and ECCE qualification obtained from IGNOU / NIOS / any other NCTE recognized institution.
   (iv) Basic knowledge of computers mandatory.
   (v) Must be fluent in both English and Hindi (Spoken and Written).
2. **Asst. Clerk.** Male Candidates age not more than 23 years on 01 Jan 2026.
   (i) B. Com with min 50% marks aggregate.
   (ii) Basic knowledge of computers mandatory.
3. Resume / CV with details of qualifications and experience (Att. Documents) may please be uploaded on Email – **cappsramgarh@gmail.com** or on WhatsApp No **6204165008.** The fee for the applicants Rs 200/- for Teachers and Asst. Clerk shall be transferred into the School Account No **50100226324243**, HDFC Bank, IFSC Code – **HDFC0000761**. Interview will be held for shortlisted candidates, intimation for which will be given telephonically. Last day for the submission of the application is **04 Jul 2026.**

1016/CAPPS, 02 Jun 2026

Secretary, CAPPS

OFFICE OF UTTARAKHAND MEDICAL SERVICE SELECTION BOARD
House No. 23, Lane No. 03, Shastri Nagar, Haridwar Road, Dehradun-248001
Website : www.ukmssb.org, Email: ukmssbdun@gmail.com, Ph. 0135-2665366(O)

Advertisement No. 22/2026 Date : 04.06.2026

E-TENDER NOTICE

UKMSSB invites e-tender for following work:

Tender No. and Date	01/2026-27
Description of work	A- Pre & Post Examination Work of UKMSSB fy 2026-27 B- Creation of facilities at designated examination center. C- Ancillary Services
Cost of tender document Excluding tax (In Rs.)	₹5000.00+ GST (18%)
Earnest Money (In Rs.)	₹1,50,000.00/- (Rs. One lakh Fifty thousand only) In favor of Secretary, Uttarakhand medical service selection board, Dehradun.
Start Date & Time of online request for tender and submission of tender.	05 June, 2026, (12:00 PM).
Last Date & Time of online request for tender and submission of tender.	18 June, 2026, (04:00 PM).
Date of Opening of Technical bid.	23 June, 2026, (01:00 PM).
Date of opening of Financial bid.	To be announced after Technical Bid.

For further details, please visit website www.uktenders.gov.in

Secretary,
Uttarakhand Medical Service Selection Board, Dehradun

जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 10, पैगाह कॉलोनी, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद- 500003 तेलंगाना, भारत CIN: U40109TG1997PLC028483
(गुरु अमर दास थर्मल पावर लिमिटेड, जीएटीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
(पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, पीएसपीसीएल की एक स्टेप डाउन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एचओडी-इलेक्ट्रिकल, जीएटीपी, गोइंदवाल साहिब द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः

1	**निविदा पूछताछ सं. 159/जीएटीपी/ईएमडी/सीएचपी/20017860 दिनांक 04/06/2026** निविदा विनिर्देशों में दिए गए विवरण के अनुसार 2X270 मेगावाट गुरु अमरदास थर्मल प्लांट (जीएटीपी), गोइंदवाल साहिब, जिलाः तरनतारन, पंजाब में **जीएटीपी में क्रशर मोटर, 600KW, 3 Phase, 6600 V AC, RPM: 743, मेकः एबीबी का प्रापण।**

विस्तृत नि.आ.सू. और निविदा विनिर्देशों के लिए, कृपया दि. **04.06.2026** को 17:00 बजे से वेबसाइट **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे **https://eproc.punjab.gov.in** पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

RO No.1079/12/2026/27/12011 जीएटीपी-52/26

छावनी परिषद्, रामगढ़

सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती सुनैना देवी, पति–ब्रह्मादत्त पांडेय** ने मकान नं. ST/164-C-11 जो **सौदागर टोला** में स्थित है को अपने नाम पर ट्रान्सफर करने के लिए इस कार्यालय को आवेदन किये है, मकान वर्तमान में इस कार्यालय की पंजियों में श्री संजय प्रसाद, पिता–रामहीत साव के नाम से दर्ज है।

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त ट्रान्सफर से आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ट्रान्सफर की स्वीकृति दे दी जायेगी।

यह ट्रान्सफर केवल टैक्स सम्बन्धी है।

ज्ञापांक : M/II/I/2026
दिनांक : 04.06.2026

ह०/– मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्, रामगढ़ कैन्ट

जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची

आम सूचना

मौजा–सिल्ली, हाहेलुपुंग, जबला, कोंचो, रोहदाग एवं सुन्डील

एतद् द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि मौजा–सिल्ली, हाहेलुपुंग, जबला, कोंचो, रोहदाग एवं सुन्डील, ILLOO-SILLI Bypass Line (5.9 k.m.) Avoiding Muri Jn. परियोजना अन्तर्गत मुआवजा राशि का भुगतान जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची द्वारा की जा रही है। अर्जित भूमि के प्रभावित रैयतों का मुआवजा आवेदन अंचल कार्यालय, सिल्ली एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची में जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात जाँचो उपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची

PR 381505 Land Reforms(26-27).D

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक Punjab National Bank ...the name you can BANK upon !

CO- SAM विभाग 5वीं मंज़िल, नाइल कॉम्प्लेक्स, एच.बी. रोड, कांटाटोली, रांची - 834001 फ़ोन: 9431427385, ईमेल: coransamd@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि / B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि / C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार / D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) / B) इएमडी / C) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	**शाखा कायार्लय : महावीर चौक** (1091) **धर्मेंद्र कुमार** **धर्मेंद्र कुमार,** पिता राम प्रवेश प्रसाद गुप्ता निवासी : फ्लैट सं. 601, स्वणरिखा अपार्टमेंट, विष्णुपुरी मार्ग, बर्दवान कंपाउंड, रांची, झारखंड 834001	एक वाणिज्यिक दुकान इकाई सं. **101** के सभी भाग है। उक्त बहुमंजिला वाणिज्यिक भवन परिसर अर्थात् **"समृद्धि स्क्वायर"** के प्रथम तल में लगभग 346 वर्गफीट में सामान्य और सभी सुविधाएं, भवन के अनुलग्नक में सामान्य उपयोग, संयुक्त अविभाजित, निष्पक्ष हिस्सेदारी के साथ खुली भूमि अर्थात अनुसूची 14409 वर्गफुट में से 152 वर्गफुट भूमि, एम.एस. प्लॉट सं. 1225 का हिस्सा है, सब प्लॉट सं. 1225/भाग के रूप में चिह्नित किया गया है, जो नए वार्ड सं. 30 में नगरपालिका होल्डिंग सं. 552, 552/A, 553 में शामिल है, रांची नगर निगम, रांची मौजा रांची, किशोरगंज चौक, हरमू रोड, थाना सुखदेवनगर, थाना सं. 205, रांची, झारखंड में बिक्री विलेख सं. 2555/2178 दिनांक 28.04.2017 के तहत स्थित है।	A) 12.09.2022 B) Rs. 13,47,604 + Further Interest C) 24.11.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 47,60,800.00 B) Rs 4,76,080.00 C) Rs 1,00,000.00	23.06.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **23.06.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 22.06.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

तिथि : 01.06.2026
स्थान : राँची

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A government of india undertaking) सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, परिसर एवं संपदा अनुभाग
अंचल कार्यालय, चौथी मंजिल
कौशल्या चेम्बर्स, हिंदपीढ़ी, मेन रोड, रांची - 834 001

परिसर की आवश्यकता

केनरा बैंक, दो बोली प्रणाली चयन प्रक्रिया के बाद पट्टे के आधार पर व्यावसायिक रूप से अनुमोदित परिसर का अधिग्रहण करने का इरादा रखता है और नीचे बताए अनुसार परिसर के लिए नीचे उल्लिखित कारपेट एरिया के अनुसार परिसर का अधिग्रहण करना चाहता है।

क्रमांक	प्रस्तावित शाखा का नाम	जिला	तालुक	स्ट्रांग रूम	आवश्यक बिजली लोड	आवश्यक कार्पेट क्षेत्र	श्रेणी
01	सदाबहार चौक नामकुम	राँची	नामकुम	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
02	कुंवाई	पलामू	पनकी	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
03	उरुगुट्टू	राँची	कांके	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
04	छतरपुर	पलामू	छतरपुर	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
05	राजधनवार	गिरिडीह	धनवार	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
06	अनगड़ा	राँची	अनगड़ा	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 250 वर्गफुट	15 KW	1500 वर्गफुट तक	ग्रामीण
07	कांटाटोली	राँची	राँची	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 300 वर्गफुट	15 KW	2000 वर्गफुट तक	मेट्रो

केवल पंजीकृत स्वच्छ शीर्षक वाले मालिकों से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं (GPA आधार पर नहीं) - नाबालिगों के स्वामित्व वाले परिसर पर विचार नहीं किया जाएगा। परिसर वाणिज्यिक होना चाहिए और अधिमानतः ग्राउंड फ्लोर पर विचार किया जा सकता है। इसमें पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र एवं अग्रभाग होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सक्षम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मालिक द्वारा अपने खर्चे पर प्राप्त किया जाएगा। मालिक/मालिकों को विट्रीफाइड फ्लोरिंग, दो शौचालय, बिजली आपूर्ति उपर्युक्त वर्णित अनुसार पॉवर लोड, बिजली मीटर के साथ उपलब्ध करानी होगी और मालिक की लागत पर विनिर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम, रैम्प सहित रेलिंग आदि का निर्माण करना होगा। पट्टे की न्यूनतम अवधि 5 + 5 वर्ष होगी जिसे दोनों पक्षों की सहमति से 5 + 5 + 5 + 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक व्यक्तियों को **AGM, परिसर एवं संपदा अनुभाग, अंचल कार्यालय, चतुर्थ तल, कौशल्या चैम्बर्स, पी..पी. कंपाउंड, हिंदपीढ़ी, मेन रोड, रांची - 834 001, मोबाइल - 97714 80991** को संबोधित करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित ले-आउट सहित स्थान, फ्लोर, क्षेत्रफल, प्रस्तावित किराया के बारे में विवरण देते हुए दो बोली प्रणाली के अनुरूप **23.06.2026 को या उससे पहले शाम 4:00 बजे तक** निविदाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक प्रस्तुत किए गए कुछ या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में आगे किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही कोई पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। प्रस्ताव प्रारूप के साथ यह जानकारी हमारी वेबसाइट : **www.canarabank.com->Announcements->Tenders** पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 05.06.2026

ह/-
सहायक महाप्रबंधक